पत्रांक–07 / मु0–01–273 / 2022....2112

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

कुमार निशांत विवेक, भा0प्र0से0,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
बिहार।

पटना, दिनांक 17/07/26

विषय :– **सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0–15610 / 2018 राघवेन्द्र शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग :– **इस निदेशालय का पत्रांक–218 दिनांक 27.02.2023।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक 12.09.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु प्रासंगिक पत्र निर्गत किया गया। उक्त न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में विभिन्न जिलों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की अपेक्षा लगातार की जा रही है। इस क्रम में जिला शिक्षा पदधिकारी, मधेपुरा को इस निदेशालय के पत्रांक 977 दिनांक 04.04.2025 द्वारा अपेक्षित निदेश दिये गए।

विषयांकित वाद में पारित आदेश के क्रियान्वयन हेतु उक्त आदेश के निम्नांकित कार्यकारी अंश का अवलोकन आवश्यक है :–

" Keeping in view of above, the concept of retrospective promotion which has been directed to be done-away by the letter of the Director, dated 04.01.2010, is found to be unjustified and contrary to the Promotions Rules of 1993. A person who was entitled to be promoted in the year 2007 will have to be considered against the vacancy of 2007, his qualification and eligibility would also be looked for that year. If he was to be denied promotion for any reason, then he should be considered in the next year as per his seniority. Thus, exercise has to be done by the Committee for different years from the year onwards when promotions were not granted.

In the circumstances as above, this Court directs the respondents to conduct an exercise after preparing the seniority list as directed by the Full Bench (supra) positively within a period of six months from today. All the districts will conduct an exercise of determination of vacancies for each year up to 2011, i.e., the date when the new Rules came into force and also prepare seniority list for each year as directed by the Full Bench. Thereafter eligibility list for each year shall be prepared based on the number of persons available under the zone of consideration and the promotion shall be accordingly granted. The pay fixation would be done accordingly, this would be applicable even to those teachers who have attained superannuation as held by the Coordinate Bench in the case of

Rana Shankar Prasad & Ors. Vrs. State of Bihar & Ors. (C.W.J.C. No. 22608 of 2014) decided on 13.09.2018, and passed orders accordingly. It is made clear that the promotion so granted will result in notional benefits from an earlier year and actual benefits shall be paid after fixation from the date actual promotions have been made. In cases where the person has attained superannuation actual retiral benefits would be given along with arrears."

उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता, विधि विभाग द्वारा परामर्श प्राप्त की गई। प्राप्त परामर्श का सारांश निम्नवत् है :–

By Judgement and order dt 12.9.22 in CWJC- 15610/2018, The Hon'ble Writ Court has not directed the authorities to grant fresh promotion. In fact Promotion has already been granted However, The writ court has noted that such promotion was to be granted on the basis of full bench judgement in the case of Ram Nath Prasad Singh (2009) 3 PLJR 384, which has been denied because of new Rules framed in 2011. By a clarificator letter dt. 4.1.10, issued by Director, Primary Eduction deciding to grant promotion prospectively has been held to be contemptions. As such writ court, relying on full bench judgement in Ram Nath Prasad case, supra, has directed to shift the date of promotion. Hence in my considered view, since if is not a fresh promotion, it will not be hit by decision of the Govt. dt. 11.4.2019.

एल0पी0ए0 सं0–985/1996 रामनाथ प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 21.04.2009 को न्यायादेश पारित की गई जिसका अंश निम्नवत् है :–

"... In the light of the above, we are of the view that a fresh seniority list has to be prepared in accordance with the Promotion Rules 1993 and the joint seniority list prepared in accordance with the directions of the Division Bench in Naresh Jha's case (supra) and the draft Rules created in 2006 subject to the approval of this Court with regard to promotions cannot be acted upon. We direct the Government to prepare a fresh list and make consequential promotions and transfers according to law. No separate orders are necessary. In view of the interim order of status quo granted, promotions were not made for the last 10 years. In the above circumstances, we direct the Government to make separate seniority lists for promotion to Grade 4 for Arts and Science teachers afresh and thereafter to prepare a consolidated list for promotion as expeditiously as possible. The draft list should be published within three months from the date of receipt of a copy of this judgment and the final seniority list shall be thereafter published and promotions and transfers made in accordance with law. ..."

पटना उच्च न्यायालय के CWJC No-15610/2018, Raghvendra Sharma case के आदेश दिनांक 12.09.2022 तथा Full Bench judgment in Ram Nath Prasad Singh vs State of Bihar, 2009 (3) PLJR 384 के अनुपालन में सभी जिलों में 1993 प्रोन्नति नियमावली के अधीन छूटे हुए/लंबित प्रोन्नति–निर्धारण की कार्रवाई की जानी है। Raghvendra Sharma judgment में माननीय न्यायालय ने कहा है कि 2011 नियमावली आने के कारण 1993 नियमावली के अधीन पूर्व की रिक्तियों पर देय प्रोन्नति से शिक्षकों को वंचित नहीं किया जा सकता।

इस कार्रवाई को नई प्रोन्नति नहीं माना जाएगा। जिन शिक्षकों को बाद में प्रोन्नति दी जा चुकी है, उनके मामले में वास्तविक प्रश्न यह होगा कि उन्हें 1993 नियमावली के अधीन किस पूर्व वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी। Learned AG opinion में भी यही कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने fresh promotion देने का निर्देश नहीं दिया है; promotion already granted था, Court ने केवल Full Bench judgment के आधार पर promotion date shift करने की बात कही है।

ध्यातव्य है कि 01.04.2011/2011 नियमावली लागू होने से पूर्व की रिक्तियों के लिए Bihar Taken Over Elementary School Teachers Promotion Rules, 1993 के अनुसार ही कार्रवाई होगी। 2011 नियमावली या 2012/बाद की prospective promotion orders के आधार पर 1993 नियमावली के अधीन उत्पन्न अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाएगा। Raghvendra Sharma judgment में न्यायालय ने यही माना कि 2011 नियमावली के आधार पर पूर्व की रिक्तियों पर retrospective/notional consideration से वंचित करना उचित नहीं था।

प्रत्येक जिला हर वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में उपलब्ध रिक्त पदों की गणना करे। यह गणना उस वर्ष की वास्तविक sanctioned strength, vacancy, reservation roster, retirement, promotion, death, transfer आदि के आधार पर की जाए। माननीय न्यायालय ने Raghvendra Sharma में स्पष्ट किया है कि 1993 नियमावली के नियम–6 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्त पदों का निर्धारण किया जाना था।

वर्षवार वरीयता सूची तैयार किया जाए। वरीयता सूची पिछले वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति पर आधारित होनी चाहिए, जैसा कि 1993 नियमावली के नियम–7 में व्यवस्था है। यानी 2007 की promotion exercise के लिए 31.12.2006 की स्थिति, 2008 के लिए 31.12.2007 की स्थिति, और इसी प्रकार आगे की स्थिति देखी जाए।

Ram Nath Prasad Singh Full Bench judgment का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि Grade–4 की प्रोन्नति के लिए कला एवं विज्ञान शिक्षकों की अलग–अलग वरीयता सूची बनेगी। Naresh Jha case के आधार पर joint list बनाने की पद्धति को Full Bench ने स्वीकार नहीं किया।

Full Bench ने यह भी स्पष्ट किया है कि Grade–4 के बाद Headmaster/Grade–7/Grade–8 promotion के लिए कला एवं विज्ञान शिक्षकों की common/consolidated वरीयता सूची तैयार की जाएगी।

अंकनीय है कि 2006 draft rules या Naresh Jha judgment के आधार पर तैयार किसी joint seniority list को pre–2011 vacancies के लिए आधार नहीं बनाया जाएगा। Ram Nath Prasad Singh Full Bench ने कहा था कि 1993 Rules को दरकिनार कर joint gradation list पर promotion नहीं किया जा सकता।

यदि कोई शिक्षक 2007 की vacancy के विरुद्ध consideration zone में आता है, तो उसकी eligibility 2007 की स्थिति से देखी जाएगी; 2006 या वर्तमान स्थिति से नहीं। इसी तरह qualification, training, satisfactory service, category, seniority और zone of consideration उसी संबंधित वर्ष की स्थिति पर आधारित होंगे। Raghvendra Sharma

judgment में न्यायालय ने कहा है कि जिस वर्ष vacancy थी, उस वर्ष की अर्हता देखी जानी चाहिए।

कोई भी शिक्षक केवल आवेदन देने या केवल वरीयता के आधार पर स्वतः प्रोन्नत नहीं माना जाएगा। प्रोन्नति तभी दी जाएगी जब उस वर्ष रिक्ति उपलब्ध हो, शिक्षक अर्हता रखता हो, seniority zone में आता हो, reservation roster के अनुसार पात्र हो, और सेवा संतोषजनक हो। यह 1993 नियमावली के नियम–4, 6 एवं 7 के अनुरूप होगा।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के 04.01.2010 के clarification में यह बिंदु था कि यदि किसी शिक्षक ने उसी अवधि में विद्यालय में उपस्थित रहकर वेतन लिया और उसी अवधि में regular student के रूप में degree प्राप्त की, तो ऐसी degree की वैधता जांची जाए। इसलिए मार्गनिर्देश में यह स्पष्ट हो कि प्रोन्नति से पहले degree, training qualification, equivalence और service book entries की verification कराई जाए।

जिन्हें पूर्व वर्ष से promotion due पाई जाती है, उन्हें उस पूर्व वर्ष से notional promotion/notional pay fixation मिलेगा। वास्तविक monetary benefit सामान्यतः actual promotion की तिथि से दिया जाएगा। Raghvendra Sharma judgment में न्यायालय ने कहा है कि प्रोन्नति से earlier year से notional benefit मिलेगा और actual benefit actual promotion की तिथि से दिया जाएगा।

जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके मामले में notional promotion के आधार पर pay fixation कर pension, gratuity, leave encashment आदि retiral benefits को revise किया जाए। न्यायालय ने Raghvendra Sharma में कहा है कि सेवानिवृत्त शिक्षक को actual retiral benefits along with arrears दिए जाएंगे।

यदि कोई शिक्षक पहले से प्रोन्नत हैं, तो उसके promotion order को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। जिला को यह देखना चाहिए कि उसे किस वर्ष की vacancy के विरुद्ध promotion मिलनी चाहिए थी। यदि वह पूर्व वर्ष से eligible पाया जाता है, तो promotion date को notional रूप से shift किया जाए और उसी के अनुसार pay fixation/retiral benefit revised किया जाए। यही Learned AG opinion का भी सार है कि यह fresh promotion नहीं, बल्कि already granted promotion की date correction exercise है।

कतिपय जिला द्वारा विषयांकित वाद को CWJC No 6139/2007 रामाशीष तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 31.03.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से जोड़ कर शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अंकनीय है कि CWJC No 6139/2007 रामाशीष तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 31.03.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–15610/2018 (राघवेन्द्र शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 12.09.2022 को पारित किए गए न्यायादेश से भिन्न है। CWJC No 6139/2007 में पारित आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश विभागीय आदेश ज्ञापांक 289 दिनांक 22.02.2019, 1160 दिनांक 03.09.2019 एवं इस निदेशालय के पत्रांक 432 दिनांक 20.04.2020 द्वारा निर्गत किया गया है। यह मूलतः वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6022

दिनांक 18.12.1989 के आलोक में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वरीय वेतनमान की स्वीकृति का है। CWJC No 6139/2007 रामाशीष तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से दिनांक 31.03.2011 को पारित आदेश में यह अंकित है कि "Leamed counsel for the petitioners rightly submits that petitioners were Graduate Untrained Teachers but were appointed in place of Matric Trained Teachers because their appointments were on compassionate ground. From the date of appointment, they were in the pay scale of Rs 1200 to Rs 2040/-. In the meantime, they got requisite training but considering the length of their service being 12 years, they were then granted senior scale of Rs 1400/- to Rs 2600/- which was subject revisions. Learned counsel for the State submits, with reference to Government Circular, that a person, in a particular grade, could not shift to that grade from a higher grade merely as a consequence of training. In my view, he is correct but that is not relevant for the present case. A reference to the Schedule, as noted above, would show that a Graduate Untrained Teacher or Intermediate Untrained Teacher or an Intermediate Trained Teacher or Matric Trained Teacher are all in one grade. The training would, thus, not shift them, if their appointment is under Matric Trained Teachers. The pay scale only changes by virtue of time bound incentive. By giving senior scale after 12 years of service, the grade does not change. They remain in the same grade but at a senior pay scale. Thus, the training aspect is inconsequential." इस प्रकार यह आदेश प्रशिक्षण की अर्हता को विलोपित नहीं करता है अर्थात प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि की गणना हेतु प्रशिक्षण की अर्हता धारित करने की तिथि ही मान्य है। अतः इसके आधार पर नियुक्ति की तिथि से मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0–15610/2018 राघवेन्द्र शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश का अनुपालन करना नियमानुकूल नहीं है।

अतएव उपरोक्त वर्णित स्थिति में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी विषयांकित वाद में पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत उनके कार्यालय आदेश की समीक्षा करते हुए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

12/7/22

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक :– 07/मु0–01–273/2022 ....2112.... पटना, दिनांक....12/07/22....

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/7/22

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा